

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय-समय पर संशोधित भर्ती नियम के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक खेल पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक खेल के पद में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है:-

SN	ROLL NO	RANK	NAME AND F/H NAME	ADDRESS	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
1	6005250671815	12	DEEPIKA DHANKA F/H Name- PURUSH OTTAM DHANKA	01 VILLAGE AT MANEGAON POST MIDHLI TEHSIL KARELI KARELI NSP MADHYA PRADESH 487330	UR	UR/X/ OP	DISE- 23400611903 GHSS EXCELLENCE CHAWARPAT HA(6 to 12)	Narsinghpur
2	6005250698244	49	AKASH KAURAV F/H Name- MANOJ KAURAV	NARMADA COLONY MAHARANA PRATAP WARD GADARWARA NSP MADHYA PRADESH 487551	OBC	OBC/ X/OP	DISE- 23400207512 GHSS EXCELLENCE CHICHOLI(6 to 12)	Narsinghpur
3	6005250630949	79	NEETU SHRIVAS TAVA F/H Name- ASHISH SHRIVAS TAVA	BAMHANGAW AN VIJAYRAGHV GARH VIJAYRAGHV GARH KAT MADHYA PRADESH 483880	EWS	EWS/ X/OP	DISE- 23400121703 GOVT SANDIPANI HSS GIRLS SDM NARSINGHP UR	Narsinghpur
4	6005250721866	203	RAHUL KUMAR F/H Name- MAHESH KUMAR	11 DEO MURLIDHAR WARD NEAR PETROL PUMP GOTEGAON GOTEGAON NSP MADHYA PRADESH 487118	OBC	OBC/ X/OP	DISE- 23400325809 GOVT SANDIPANI HSS GOTEGAON	Narsinghpur

5	6011250654542	398	RAHUL PAL F/H Name- SHIV SHANKAR	CHHITTUPUR BHU VARANASI VARANASI UTTAR PRADESH 221005	UR	UR/X/ OP	DISE- 23400120402 GHSS EXCELLENC E NARSINGHP UR(9 to 12)	Narsinghpur
6	6011250654543	416	ASHWANI TIWARI F/H Name- DINESH TIWARI	VILL GAURDIH POST CHAUBEYPU R VARANASI VARANASI UTTAR PRADESH 221104	UR	UR/X/ OP	DISE- 23400318308 GHSS UMARIYA (SHRI NAGAR)(1 to 12)	Narsinghpur
7	6005250722172	500	DEVENDR A RAJAK F/H Name- BHAGWA N DAS RAJAK	SUBHASH WARD GADARWARA GADARWARA NSP MADHYA PRADESH 487551	OBC	UR/X/ OP	DISE- 23400503514 GOVT SANDIPANI HSS SAINKHEDA	Narsinghpur
8	6011250765036	589	SAMBHAV SHRIBHA TRI F/H Name- PUKKHAN LAL SHRIBHA TRI	WARD NO 3 BHAGAT SINGH WARD FRONT OF ANAND PUBLIC SCHOOL, MULTAI BET MADHYA PRADESH 460661	OBC	UR/X/ OP	DISE- 23400314012 PMShri-GHSS KARAKBEL(1 to 12)	Narsinghpur
9	6010250674139	596	NARAYAN DUTT DWIVEDI F/H Name- VAIDEHI SHARAN DWIVEDI	GRAM BHARJUNA KALA BHARJUNA KALA BHARJUNA KHURD RAGHURAJN AGAR SAT MADHYA PRADESH 485114	EWS	UR/X/ OP	DISE- 23400415104 GOVT SANDIPANI HSS KARELI	Narsinghpur
10	6005250631729	758	SHOBHA RAM DOHAIYA F/H Name- HAKAM SINGH	212 KISANI MOHALLA HOUSING BOARD COLONY BHOTESHWA R MANDIR KE PASSSS	SC	SC/X/ OP	DISE- 23400605616 GHSS GIRLS, TENDUKHED A(6 to 12)	Narsinghpur

				GOTEGAON NSP MADHYA PRADESH 487118				
11	6002250635863	790	RAVIN SINGH THAKUR F/H Name- ASHOK SINGH THAKUR	36 NEAR ALLAHABAD BANK VILLAGE KAUDIYA TEHSL GADARWARA NSP MADHYA PRADESH 487555	SC	SC/X/ OP	DISE- 23400618907 PMShri-GHSS RAGHAV KRASHI, BOHANI(6 to 12)	Narsinghpur

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छटवां वेतनमान 5200-20200 +2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायेण्ड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

5/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे। दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

XXIX. नियुक्ति आदेश

XXX. पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस

XXXI. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र)

XXXII. आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थियों लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र

XXXIII. मूल निवासी प्रमाण पत्र

XXXIV. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)

XXXV. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)

- XXXVI. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
- XXXVII. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी दस्तावेज।
- XXXVIII. भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाणपत्र।
- XXXIX. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का प्रमाणपत्र
- XL. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
- XLI. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी घोषणा (परिशिष्ट- 1)
- XLII. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट- 2)

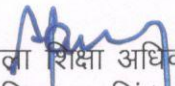
6/ बिन्दु 5 में उल्लेखित दस्तावेजों के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

9/ परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

विशेष टीप:- यदि चरित्र / जाति / निःशक्ता / शैक्षणिक योग्यता / शपथपत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला नरसिंहपुर

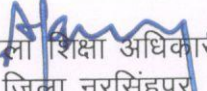
पृ. क्रमांक./ 3355 / स्थापना 03/2026 /
प्रतिलिपि:-

नरसिंहपुर, दिनांक 04/07/2026

1. विशेष सहायक, माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र ।
6. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
7. संभागायुक्त जबलपुर मध्यप्रदेश ।
8. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश।
9. कलेक्टर जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश ।
10. विकासखंड शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।

11. कोषालय अधिकारी, नरसिंहपुर म.प्र. ।

12. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य अपनी उपस्थिति देवें।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला नरसिंहपुर